

# प्रेस नोट थाना खजनी जनपद गोरखपुर दिनांक 19.04.2024

## **30 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, 400 ग्राम यूरिया व 250 ग्राम नौसादर के साथ 02 नफर अभियुक्ता गिरफ्तार**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अवैध शराब के निष्कर्षण एवं ब्रिकी से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी खजनी के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष खजनी के नेतृत्व में मय पुलिस टीम द्वारा अभियुक्ता 1. उर्मिला देवी पत्नी रामकेश्वर शाहू निवासी ग्राम बेदाल थाना भन्डरा जिला लोहरदग्गा झारखण्ड 2. अनीता देवी पत्नी विजय शाहू निवासी महुआमिलान थाना चन्दवा जिला लातेरहार झारखण्ड को 30 लीटर अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब, 400 ग्राम यूरिया व 250 ग्राम नौसादर के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 162/2024 धारा 60 (2) आबकारी अधिनियम व 272 भादवि पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है

### गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता-

1. उर्मिला देवी पत्नी रामकेश्वर शाहू निवासी ग्राम बेदाल थाना भन्डरा जिला लोहरदग्गा झारखण्ड
2. अनीता देवी पत्नी विजय शाहू निवासी महुआमिलान थाना चन्दवा जिला लातेरहार झारखण्ड

### पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-162/2024, धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व 272 भादवि थाना खजनी जनपद गोरखपुर

### बरामदगी-

30 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, 400 ग्राम यूरिया व 250 ग्राम नौसादर

### गिरफ्तारी की टीम-

1. थानाध्यक्ष गौरव राय कन्नौजिया थाना खजनी जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 विवेक चतुर्वेदी थाना खजनी जनपद गोरखपुर
3. का0 यादवेश यादव थाना खजनी जनपद गोरखपुर
4. कां0 बृजेश यादव थाना खजनी जनपद गोरखपुर
5. कां0 जितेन्द्र यादव थाना खजनी जनपद गोरखपुर
6. म0कां0 नेहा सिंह थाना खजनी जनपद गोरखपुर

7. म0कां0 मन्जुला शुक्ला थाना खजनी जनपद गोरखपुर

